01. प्रकाशसिंह पुत्र स्व. श्री भंवरसिंह
02. रामसिंह पुत्र स्व. श्री भंवरसिंह
03. छगनसिंह पुत्र स्व. श्री धनसिंह
04. शंकरसिंह पुत्र स्व. श्री बिरदसिंह
05. हरिसिंह पुत्र स्व. श्री बिरदसिंह
06. राणसिंह पुत्र स्व. श्री मोतीराम
07. देवीसिंह पुत्र स्व. श्री मोतीराम
08. गोमती देवी पत्नी स्व. श्री बालुसिंह
09. शैतानसिंह पुत्र स्व. श्री बालुसिंह
10. सुमेरसिंह पुत्र स्व. श्री बालुसिंह
11. मदनसिंह पुत्र स्व. श्री बालुसिंह
12. भंवरसिंह पुत्र स्व. श्री धनसिंह
13. आईदानसिंह पुत्र स्व. श्री धनसिंह
14. हरीसिंह पुत्र स्व. श्री धनसिंह
15. मोहनसिंह पुत्र स्व. श्री धनसिंह
16. बाबूसिंह पुत्र स्व. श्री धनसिंह

सभी जातियान् पुरोहित, निवासीगण- ग्राम चावण्डा(आखलियॉ की ढाणी) तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

01. मोहनसिंह पुत्र स्व. श्री खेतसिंह
02. अमीया कंवर पत्नी स्व. श्री जीवराजसिंह
03. बीजराजसिंह पुत्र स्व. श्री जीवराजसिंह
04. खुशालसिंह पुत्र स्व. श्री जीवराजसिंह
05. रामप्यारी पुत्री स्व. श्री जीवराजसिंह
06. करणसिंह पुत्र स्व. श्री बेरीसालसिंह
07. पदमसिंह पुत्र स्व. श्री बेरीसालसिंह
08. खींवसिंह पुत्र स्व. श्री बेरीसालसिंह
09. रामसिंह पुत्र स्व. श्री बेरीसालसिंह
10. तुलछकंवर पत्नी स्व. श्री बेरीसालसिंह

सभी जातियान् पुरोहित, निवासीगण- ग्राम चावण्डा(आखलियॉ की ढाणी) तहसील व जिला जोधपुर।

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जोधपुर।
12. श्रीमान् निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर, जरिये श्रीमान प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालयस,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आखलियॉ की ढाणियॉ, चावण्डा, पंचायत समिति मण्डोर, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर दिनांक 23 मई 2024 राजस्व वाद संख्या 24/2024 प्रकाश सिंह व अन्य बनाम मोहनसिंह इत्यादि

------- 0 -------

उपस्थित-
श्री सज्जनसिंह, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दौलतराम प्रजापत, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से दस
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या ग्यारह

नि र्ण य

दिनांक : 15 जनवरी 2025

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2024 प्रकाश सिंह व अन्य बनाम मोहन सिंह इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 23 मई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत 24 मई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 374 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा के संबंध में एक वाद बाबत घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु पेश किया। उपरोक्त वाद में प्रतिवादीगण की तरफ से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सपठित किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीगण/अपीलार्थीगण का वाद खारिज कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमो में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पारित अपीलाधीन निर्णय विधि, विधान, संचिका, अभिलेख के तथ्यों एवं न्याय के विपरीत तथा इंसाफन व कानूनन गलत होने से निरस्त करने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स/वादीगण के वाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि वादग्रस्त आराजी जागीर पुनर्गहण के समय एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही बतौर काश्तकार खेतसिंह वल्द जीवराजसिंह का नाम राजस्व रेकर्ड खतौनी बंदोबस्त में अंकन है। आदेश 07 नियम 11 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के समय मात्र वाद में अंकित तथ्यों को ही पढा जा सकता है। दस्तावेजो के अवलोकन नहीं किया जा सकता है। इस कारण आलौच्य निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर कानूनी तनकीयात कायम किये बिना तथा उन पर अपीलांट्स को साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी वक्त सेटलमेंट अपीलांट की खुदकाश्त की भूमि दर्ज है तथा अपीलांट्स काबिज काश्त है तथा मौके पर अपीलांट्स के मकानात इत्यादि बने हुए है। रेस्पोडेंट्स अपीलांट की उक्त आराजी पर बतौर कृषक कार्य करते थे तथा राजस्व कर्मचारियों से मिलकर अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा लिया। धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद प्रस्तुत करने में म्याद की कोई समय सीमा नियत नहीं है। इस कारण अपीलांट वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद प्रस्तुत करने के कानूनन अधिकारी है। अपीलांट्स की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के मौके की वस्तुस्थिति को रेकर्ड पर लिये जाने हेतु मौका रिपोर्ट तलब किये जाने का निवेदन किया, किंतु विचारण न्यायालय द्वारा इस ओर ध्यान न देकर प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर विधिक प्रक्रिया से परे जाकर वादीगण के वाद को खारिज कर दिया। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय विधिविरुद्ध होने से अपास्त योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वादीगण के वाद में तनकीयात कायम की जाकर बाद साक्ष्य सुनवाई मामले का गुणावगुण पर पुनः निर्णय किया जावें। वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में 2012(1)आर.आर.टी. पेज 655 की न्यायिक नजीर पेश की।

जबाब में राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि है तथा वक्त सेटलमेंट से लेकर आज तक रेस्पोडेंट्स वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त है। वक्त सेटलमेंट से पूर्व रेस्पोडेंट्स के पूर्वज के नाम से पट्टा जारी किया गया है तथा वक्त सेटलमेंट प्रथम जमाबंदी रेस्पोडेंट्स के नाम से जारी की गई है। वादग्रस्त आराजी के चारों ओर पक्की दीवार बनायी हुई तथा रेस्पोडेंट्स मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेंट्स की ओर से स्कूल के लिये एक बीघा भूमि दान में दी गई है, जहां पर शिलालेख पर रेस्पोडेंट्स का नाम दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख पर्चा लगान मौजा चावण्डा, डिस्ट्रिक्ट जोधपुर के रजिस्टर नंबर 455 पर्चा नंबर 23 के मुताबिक वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 374 रकबा 4.5 बीघा वक्त जागीरकाल रेस्पोंडेंट्स के पूर्वज खेतसिंह वल्द बीजराजसिंह की काश्त की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

भूमि रही है तथा अपीलांट के पूर्वज कुंभसिंह व बिरद सिंह वगैरह का नाम बतौर जागीरदार दर्ज है। रेस्पोडेंट्स द्वारा तत्समय लगान राशि दस रुपये तेरह आना भारा जाना भी साबित होता है। वक्त सेटलमेंट जारी प्रथम खतौनी बंदोबस्त संवतः 2011-2030 ग्राम चावण्डा तहसील जोधपुर के खाता संख्या 13 के मुताबिक भी वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 374 रकबा 4 बीघा 05 बिस्वा रेस्पोडेंट्स के पूर्वज खेतसिंह वल्द बींजराज कोम पुरोहित के नाम उपभोक्ता के नाम दर्ज रहीं है तथा अपीलांट्स के पूर्वजो का नाम बतौर सासणदार दर्ज है। तत्श्चात समस्त खतौनी बंदोबस्त में वादग्रस्त आराजी अनवरत रेस्पोडेंट्स की खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। वक्त सेटलमेंट से पूर्व काबिज काश्तकारान् के विरुद्ध कानूनन खातेदारी घोषणा का दावा पोषणीय नहीं है। लिहाजा वादीगण का वाद विधि द्वारा बाधित पाया जाता है। इन परिस्थितियों में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में उसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।

वस्तुतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण उपरांत अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जोधपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 24/2024 प्रकाश सिंह व अन्य बनाम मोहन सिंह इत्यादि में पारित निर्णय दिनांक 23 मई 2024 यथावत रखे जाते है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर